दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 20-06-2025

का वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं।

दृष्टिबाधित को वाणिज्य विषय में आरक्षण नहीं, याचिका खारिज

पीएससी ने सहायक प्राध्यापक पद के लिए उपयुक्त नहीं माना था, वर्ष 2021 का अंतरिम आदेश भी रद्द

बिलासपुर | दृष्टिबाधित उम्मीदवार ने सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) के पद पर 2% आरक्षण के तहत नियुक्ति की मांग करते हुए याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट के जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी है कि पीएससी का वाणिज्य के लिए दृष्टिबाधित को उपयुक्त नहीं माननाकानूनी रूप से सही है।

पीएससी ने वर्ष 2021 में सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, इसमें दृष्टिबाधित सरोज क्षेमनिधि ने भी वाणिज्य विषय के लिए आवेदन किया था। परीक्षा पास करने के बाद साक्षात्कार में भी शामिल हुआ, लेकिन चयन सूची में नाम नहीं था। इस पर हाई कोर्ट में याचिका लगाई। बताया कि विज्ञापन में दृष्टिबाधित श्रेणी के अभ्यर्थियों को वाणिज्य विषय में आरक्षण नहीं दिया गया, जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने हाई कोर्ट के नोटिस के जवाब में बताया कि आयोग केवल चयन प्रक्रिया संचालित करता है, आरक्षण नीति निर्धारण का अधिकार राज्य सरकार के पास है।